



# बुलन्दशहर पुलिस



## OPERATION CONVICTION

हत्या का प्रयास करने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

दिनांक- 08.05.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे "Operation Conviction" के तहत बुलन्दशहर पुलिस व अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप **थाना डिबाई** पर **अपनी पत्नी को जान से मारने की नियत से तेल डाल कर घायल करने के सम्बन्ध में** पंजीकृत मु०अ०सं०-184/2018 धारा 306,34 भादवि के अभियुक्त **प्रेमपाल उर्फ शंकरलाल पुत्र रामजीलाल निवासी कुमरौआ थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर** को मा० न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा **10 वर्ष का कारावास व 20,000/- रुपये जुर्माना** से दण्डित किया गया।



श्री भूपेन्द्र सिंह राजपूत  
(ADGC)



नि. श्री यशपाल सिंह  
(प्रभारी मॉनीटरिंग सैल)



का० अमित  
(पैरोकार)



का० विशाल  
(कोर्ट मोहरीर)